

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.03.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या—11 / 2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से की गई।</p> <p>सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू का कहना है कि शिकायतकर्ता के नाम से 2 राशन कार्ड है, उसमें से 1 राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता पूर्व में 2 राशन कार्ड से राशन उठाते रहे हैं। यदि ऐसा प्रमाणित है, तो ये वैधानिक रूप से अवैध माना जा सकता है और जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस संदर्भ में वैधानिक कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि सभी संबंधित साक्ष्य के साथ आयोग को अपना प्रतिवेदन समर्पित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ततपश्चात आयोग विधिसम्मत कार्रवाई करेगा।</p> <p>मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक—25.04.2023 को निर्धारित की जाती है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सुनवाई से 7 दिन पूर्व अपना लिखित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष समर्पित करें।</p> <p>आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।</p> <p style="text-align: right;"><u>Sh.</u> (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> <p style="text-align: right;"><u>H.M.S.</u> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> <p style="text-align: center; color: blue;">         अपीलकर्ता का उपस्थिति अपील का उपस्थिति अपील          जारी है। उपस्थिति का जागली तिथि ०१.०५.२०२३ को          निर्धारित का जारी है। उपस्थिति को सुनित करें।     </p> <p style="text-align: center; color: blue;"> <u>Sh.</u>          25.4.23     </p>	